

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/ 109

दिनांक:- 25/1/16

आदेश

मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.16 को विचार बिन्दु संख्या 229.16 में यह निर्णय लिया गया कि मल्हारगंज चौमहला के 211 आवासो एवं अकलेरा आवासीय योजना के 301 आवासो की वर्ष 2014-15 की निर्धारित लागत स्थिर कर 20 प्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ खुली ब्रिकी योजना (नगद भुगतान पद्धति) द्वारा निस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि यह लागत दिनांक 30.06.2016 तक फीज रहेगी। अतः निर्णयानुसार निस्तारित किये जाने वाले आवासो का विवरण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा भिजवाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं	आय वर्ग	योजना का नाम	आवास संख्या	योग
1	EWS (GHARONDA)	अकलेरा आवासीय योजना	2/1, 4, 10, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 3/1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 103 A, 103B, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172A, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,	301
मल्हारगंज चौमहला				
1	EWS (GHARONDA)	चौमहला आवासीय योजना	3/107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138,	29

2	EWS	चौमहला आवासीय योजना	3/33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174	91
3	LIG	चौमहला आवासीय योजना	1/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 2/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3/1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22,	91

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा निम्न शर्तों के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. आवासों का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये है।
6. मण्डल द्वारा समय-समय पर खुली ब्रिकी योजना के संबंध में जारी आदेशों की पालना की जावे। उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 64/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -कोटा, रा0आ0म0 उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा, रा0आ0म0 कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबंधक (मु0)